<u>जनपद बाराबंकी</u>

प्रेस नोट सं0-54 **दिनांक 13.10.2020**

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 12 घण्टे के अन्दर 220 बोरी दाल से लदी डी0सी0एम0 की लूट का सफल अनावरण, शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर शतप्रतिशत माल सहित डी0सी0एम0 बरामद।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हाईवे असैनी से लुटी गई 220 बोरी (110 कुन्तल) दाल से लदी डी0सी0एम0 को 06 घण्टे के अन्दर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर शतप्रतिशत बरामदगी करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>
रोहन अमान पुत्र रामकुमार निवासी चिलौकी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी ।

<u>बरामदगी-</u>
1-डी0सी0एम0 में लदी 220 बोरी दाल कीमत (लगभग 7.5 लाख)
2-डी0सी0एम0 वाहन नम्बर-यूपी 79 टी 3785

वादी हरीओम अवस्थी पुत्र श्री प्रकाश नरायण अवस्थी निवासी बहमनगर औरैया थाना कोतवाली नगर जनपद औरैया ने थाना कोतवाली नगर बाराबंकी पर सूचना दिया कि मेरी डी0सी0एम0 नम्बर-यूपी 79 टी 3785 से डी0सी0एम0 चालक शिवम सिंह सेंगर पुत्र कुन्दन सिंह निवासी भगौतीपुर सरैय थाना कोतवाली नगर जनपद औरैया ने जनपद जालौन से दाल लोड करके रूदौली जनपद अयोध्या की तरफ जा रहा था तो दिनांक-12.10.2020 को बाराबंकी बाईपास असैनी के पास प्रातः लगभग 4.30 बजे अज्ञात 03 बाइक सवार द्वारा दाल से लदी ट्रक लूट कर फरार हो गये । इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0-853/2020 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक बाराबंकी/ अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आर0एस0 गौतम द्वारा घटना त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया । क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री सीमा यादव द्वारा पुलिस टीमों का नेतृत्व कर चेकिंग/साक्ष्य संकलन/अभिसूचना एकत्र कराया जा रहा था ।

इसी क्रम में अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में लगातार किये जा रहे अथक प्रयास से थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम को कुछ घण्टों में ही महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसके आधार पर अभिसूचना को विकसित करते हुए मात्र 12 घण्टों के अन्दर ही थाना सफदरगंज क्षेत्रान्तर्गत रहमान ट्रेडिंग राईस मिल से थाना सफदरगंज पुलिस की सहायता से अभियुक्त रोहन अमान पुत्र रामकुमार निवासी चिलौकी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी को समय 19.40 गिरफ्तार कर मौके से झाड़ियों में 200 बोरी लदी खड़ी डी0सी0एम0 व 20 बोरी पास के गोदाम से कुल 220 बोरी दाल बरामद किया गया ।

अभिसूचना एकत्रित करने करने से प्रकाश में आया कि दिनांक-10.10.2020 को मेसर्स कामाख्या इन्टरप्राईजेज, मुरलीमनोहर जनपद जालौन से गोयल ट्रेडिंग कम्पनी रूदौली (फैजाबाद) के लिए 220 बोरी (110 कुन्तल) मटर की दाल कीमत 7,55,700/-रूपये को किसान ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, कोंच चौराहा जनपद जालौन की डी0सी0एम ट्रक नम्बर-यूपी 79 टी 3785 पर लाद कर रवाना किया गया था । गिरफ्तार अभियुक्त रोहन अमान से पूछताछ करने पर बताया गया कि रफीक पुत्र असगर अली, हाफिज उर्फ नसरूद्दीन व अन्य रफीक का दोस्त सुबह दाल से लदी डीसीएम लाये और दाल को बेचने के लिए हम लोग खोजते रहे लेकिन कोई नहीं मिला तो रहमान ट्रेडिंग राईस मिल के पास झाड़ियों में खड़ी कर दिया गया । हम सभी लोग रफीक के लिए कार्य करते है । अभियुक्त रफीक व हाफिज उर्फ नसरूद्दीन की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है । अभियुक्त रफीक शातिर किस्म का अपराधी है, यह पैनल चोरी के मामले में थाना सफदरगंज से पूर्व में जेल जा चुका है । अभियुक्त ने यह भी बताया कि रफीक अब्दुल गफ्फार का गोदाम किराये पर लिया और उसी गोदाम में टमाटर का कैरेट आदि रखता है ।

उक्त सराहनीय कार्य हेतु पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

<u>पुलिस टीम-</u>

01. अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
02. थानाध्यक्ष श्री श्रवण कुमार सिंह थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
03. उ0नि0 श्री सतीश कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
04. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार आजाद थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
05. का0 मनोज कुमार , का0 अमित कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
07. का0 प्रशान्त त्रिपाठी, का0 प्रशान्त कुमार थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।